10

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 63/2021

राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ़

– वादी

बनाम

1. अनुज कानोडिया पुत्र शिवरतन कानोडिया जाति महाजन, सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. अजय पुत्र बालकिशन जाति महाजन, सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. अन्जू पुत्री बालकिशन जाति महाजन, सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. अशोक पुत्र रतनलाल जाति नाई सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. आलोक पुत्र बालकिशन जाति महाजन, सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. जयप्रकाश पुत्र श्रवणकुमार जाति महाजन, घरडू की ढ़ाणी, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. मुकेश पुत्र कृष्णकुमार जाति ब्राहमण गॉवं आसलवास महेता जिला भिवानी हरियाणा।
8. मोहित कुमार पुत्र रविन्द्र कुमार जाति जाट गॉव गोपालवास जिला भिवानी हरियाणा।
9. ललित कुमार पुत्र हरिकिशन जाति महाजन सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
10. संजय कानोड़िया पुत्री बिहारीलाल कानोडियॉ जाति महाजन सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
11. संजय कुमार पुत्र हरिकिशन जाति महाजन सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
12. सुनील पुत्र केशरदेव जाति महाजन सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
13. सुशीला पत्नि अनिल कुमार जाति ब्राहमण सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय ::

दिनांक – 10.12.2021

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र, को खुर्द बुर्द नही करें।

(ख) अन्य सिद्वि जो मुफिद वादी हो एवं धारा 289 आ0टी0एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये नोटिस बोर्ड तहसील कार्यालय सूरजगढ़, पंचायत समिति कार्यालय सूरजगढ़, नगरपालिका सूरजगढ़, तथा ग्रम पचायत जाखोद पर चस्पानगी से की गयी। प्रतिवादी संख्या 03,04,06 की और से श्री हवासिंह चौहान एड0 ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादी सं0 3,4,6,7,8,10,13 तथा अन्य केतागणों ने जवाब पेश किया जिसमें उक्त प्रतिवादियों ने स्वीकार किया की उक्त कृषि भूमि को कृषि के रूप में काम में न लेकर बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर अवैध रूप से प्लाटिंग कर इस खसरा नम्बर की भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है तथा उक्त प्रतिवादियों ने ख0न0 599 रकबा 2.36 है0 की संपरिवर्तन की निर्धारित दर से राशि जमा करवा कर नगरपालिका सूरजगढ़ को समर्पित करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार सूरजगढ़ से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मगवायी गई जिसमें उन्होने बताया की ख0न0 599 रकबा 2.36 है0 आबादी से चारो तरफ से घिरा हुआ है एवं प्लाटिग होकर चारदीवारी बनी हुई है तथा वर्तमान में उक्त खसरा अकृषि कार्यों के लिए काम आ रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा, फर्द मौका।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात क, ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 599 रकबा 2.36 हैक्टर स्थित ग्राम सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादीगण के इकबालिया बयान से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि जो कि कृषि भूमि है, का अकृषि प्रयोग किया गया है। अतः भूमि खेत खसरा न0 599 रकबा 2.36 है0 स्थिति ग्राम सूरजगढ़ राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, मौका फर्द, प्रतिवादीगण/कब्जेधारी के इकबालिया बयान से यह स्पष्ट होता है कि उक्त वर्णित भूमि जो की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है का अकृषि प्रयोग किया गया है। अतः समस्त प्रतिवादीगण के खातेदारी हक अधिकार हजफ किया जाकर, ख0न0 599 रकबा 2.36 है0 स्थित ग्राम सूरजगढ़ को राजहक में लिया जाकर, वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है।

प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों द्वारा उक्त वर्णित भूमि को संपरिवर्तन की निर्धारित दर से राशि जमा करवाकर नगरपालिका सूरजगढ़ को समर्पित करने के लिए प्रार्थना पत्र/जवाब प्रस्तुत किया है जिसका निस्तारण किया जाना भी आवश्यक हैं।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

/2

तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि आबादी से चारो तरफ से घिरी हुई है व अकृषि कार्य सम्बन्धी उपयोग में ली जा रही है जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा उक्त खसरे को आबादी विस्तार हेतु न्यायालय से अनुतोष चाहा गया।

खसरा नम्बर 599 को प्रथमतः नगरपालिका सूरजगढ़ के हक में समर्पित किया जाकर राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, फर्द मौका, प्रतिवादीण एवं अन्य केतागण के इकबालियाँ बयान को आधार मानते हुए, चूँकि खातेदार/कब्जेधारी भूमि समर्पण हेतु तैयार है, आबादी हेतु आरक्षित किया जाकर, सम्बन्धित नगरपालिका यह सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार प्रकिया पूर्ण हो, प्रतिवादीगण को पट्टे जारी करना सुनिश्चित करे व चूंकि प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन स्वीकार किया है अतः बतौर शास्ती वार्षिक लगान की 10 गुणा राशि तहसीलदार सूरजगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा करवायी जानी निर्धारित की जाती है ।

नगरपालिका सूरजगढ़ यह सुनिश्चित करते हुए की समस्त प्रकिया विधिसम्मत, न्यायसम्मत तथा तर्कसंगत हो, प्रतिवादीगण को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 कर यथोचित लाभ देना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे खसरा न0 599 वाके ग्राम सूरजगढ़ को नियमानुसार व आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें ।

(दिपाशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलैकटर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपाशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलैकटर
सूरजगढ़

13

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारी :–
राजस्व वाद सं.– 63/2021
निर्णय दिनांक :– **10-12-2021**

राजस्था सरकार बनाम अनुज कानोडिया आदि

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से **सरकारी पैरोकार** व प्रतिवादी सं. 3,4,6, की और से श्री हवासिंह एड0 एवं 7,8,10,13 तथा अन्य केतागणों की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **10.12.2021** को **दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

–:: आदेश::–

"न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 599 रकबा 2.36 हैक्टर स्थित ग्राम सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादीगण के इकबालिया बयान से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि जो कि कृषि भूमि है, का अकृषि प्रयोग किया गया है। अतः भूमि खेत खसरा न0 599 रकबा 2.36 है0 स्थिति ग्राम सूरजगढ़ राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, मौका फर्द, प्रतिवादीगण/कब्जेधारी के इकबालिया बयान से यह स्पष्ट होता है कि उक्त वर्णित भूमि जो की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है का अकृषि प्रयोग किया गया है। अतः समस्त प्रतिवादीगण के खातेदारी हक अधिकार हजफ किया जाकर, ख0न0 599 रकबा 2.36 है0 स्थित ग्राम सूरजगढ़ को राजहक में लिया जाकर, वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है।

प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों द्वारा उक्त वर्णित भूमि को संपरिवर्तन की निर्धारित दर से राशि जमा करवाकर नगरपालिका सूरजगढ़ को समर्पित करने के लिए प्रार्थना पत्र/जवाब प्रस्तुत किया है जिसका निस्तारण किया जाना भी आवश्यक हैं।

तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि आबादी से चारो तरफ से घिरी हुई है व अकृषि कार्य सम्बन्धी उपयोग में ली जा रही है जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा उक्त खसरे को आबादी विस्तार हेतु न्यायालय से अनुतोष चाहा गया।

खसरा नम्बर 599 को प्रथमतः नगरपालिका सूरजगढ़ के हक में समर्पित किया जाकर राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, फर्द मौका, प्रतिवादीण एवं अन्य केतागण के इकबालियॉ बयान को आधार मानते हुए, चूँकि खातेदार/कब्जेधारी भूमि समर्पण हेतु तैयार है, आबादी हेतु आरक्षित किया जाकर, सम्बन्धित नगरपालिका यह सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार प्रकिया पूर्ण हो, प्रतिवादीगण को पट्टे जारी करना सुनिश्चित करे व चूंकि प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन स्वीकार किया है अतः बतौर शास्ती वार्षिक लगान की 10 गुणा राशि तहसीलदार सूरजगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा करवायी जानी निर्धारित की जाती है ।

नगरपालिका सूरजगढ़ यह सुनिश्चित करते हुए की समस्त प्रकिया विधिसम्मत, न्यायसम्मत तथा तर्कसंगत हो, प्रतिवादीगण को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 कर यथोचित लाभ देना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे खसरा न0 599 वाके ग्राम सूरजगढ़ को नियमानुसार व आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें ।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **10.12.2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
पदेन सहायक कलक्टर सूरजगढ़